

कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 128।/खनिज/अल्प अवधि टेंडर/2024-2025

दिनांक 27/08/2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 03 रिक्त/उपलब्ध क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा०)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि 03/09/2024 से 10/09/2024 समय साथ 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र क्र	लहसुन कोड	ग्राम व नदी व दौस्तपार एरिया कोड	खण्ड संख्या/गांव संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेकैरि)	सीमांचल	जिल्हा-कोआइंट्रिक्स	दर (प्रति घण्टी मीटरॉ मी)	खनन दोष नियमित/ अवैध शासनिक की नाम (हेक्टेकैरि)	खनन कुल (प्रतीक्ती दर व नियमित/ अवैध संख्या	झौलट रक्षा उपकार का मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	फतेहपुर	खननगढ़ कोहन (खनन नदी) 1570760202	खण्ड सं०-आठवें०-१ गांव। सं०-144 का भाग आदि, 40, 36, 32, 68, 5	34.8160	उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम	ग्राम राननगढ़ कोहन की एठरामाली मूर्म गांव संख्या-73 व अन्य गांव संख्याएँ गांव सं० आठवें०-१ वी	A N-25°-40.882 E-80°-52.780 A1 N-25°-40.877 E-80°-52.733 A2 N-25°-40.840 E-80°-52.733 A3 N-25°-40.860 E-80°-52.439 A4 N-25°-40.906 E-80°-52.128 B N-25°-41.012 E-80°-51.798 C N-25°-40.881 E-80°-51.738 C1 N-25°-40.740 E-80°-52.055 D N-25°-40.800 E-80°-52.082 E N-25°-40.803 E-80°-52.230 E1 N-25°-40.765 E-80°-52.230 F N-25°-40.781 E-80°-52.508 F1 N-25°-40.795 E-80°-52.678 G N-25°-40.812 E-80°-52.786	150	107942	16197300	8098650
2.	फतेहपुर	उत्तरी (खनन नदी) 2162560201	खण्ड सं०-उत्तरी की गांव संख्या-64 से 69 तक 83 से 91 तक, 108 से 112तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 363 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 567/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 506 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586-	50.00	उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम	ग्राम उत्तरी का शेष भाग गांव लौना दस्तीली सीमा ग्राम अद्वावल	A N-25°-48.513 E-80°-28.624 B N-25°-48.440 E-80°-28.780 C N-25°-48.273 E-80°-28.969 D N-25°-48.129 E-80°-29.166 E N-25°-47.924 E-80°-29.447 F N-25°-47.705 E-80°-29.833 G N-25°-47.622 E-80°-29.773 H N-25°-47.842 E-80°-29.386 I N-25°-48.655 E-80°-29.087 J N-25°-48.207 E-80°-28.880 K N-25°-48.363 E-80°-28.693 L N-25°-48.499 E-80°-28.529	150	187500	28125000	14062500
3.	गांव	गुरुकल (खनन नदी) 2160966401	खण्ड सं०-गुरुकल कम्पाइट वी-गांव संख्या-53 से 71 तक, 74 से 86 तक, 91, 132 से 134 तक	64.00	उत्तर दक्षिण	ग्राम नदी वी शेष भाग गांव 63, 64, 68, 64, 53, 71, 74, 91 ग्राम नदी	A 25°37'11.7N 80°57'33.3E A1 25°36'8.32N 80°57'55.7E A2 25°36'7.7PN 80°57'7.03E A3 25°36'7.15N 80°58'1.20E A4 25°36'7.67N 80°58'33.3E B 25°36'8.66N 80°58'62.9E C 25°36'7.90N 80°58'65.7E	150	187500	28125000	14062500

का शेष भाग	C1	25°36'745"N	80°58'439"E
पूर्व	C2	25°36.667"N	80°58.021"E
का शेष भाग	C3	25°36.675"N	80°57.727"E
पश्चिम	C4	25°36.758"N	80°57.469"E
का शेष भाग	D	25°36.930"N	80°57.080"E

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम् 06 माह के लिए होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा व पुनः पूर्ति मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी-फतेहपुर के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई०डी० व पासवर्ड बनायेंगे।
 - (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई०डी० लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

प्रारूप-2 की सूचनायें:-

 - क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 - ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
 - ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो०नम्बर।
 - घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
 - ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु० 2,000/- का चालान संख्या व दिनांक।
 - च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
 - छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
 - ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहों से जारी किया गया हो।
 - झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

 - क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु० 2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैन कार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी हारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवश्यक प्रदर्श में पटाधारक/परिहासधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय को शाम्भु पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थानीय संघ से नियाय करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्यक्ष पाठ्नर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज़ाप्टि के अनुसार पौंच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 12/09/2024 अपराह्न 04:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के द्वारा खोला जायगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा विन्दु संख्या-6 में याहित अभिलेख/वैक ड्राफ्ट की प्रति ही निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ही-निविदा अर्थात् कर दी जायगी। अपलोड किये गये प्राप्ति-2 की प्रति तथा वैक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खाले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। वैक ड्राफ्ट के पीछे विज़ाप्टि संख्या व दिनांक, विज़ाप्टि में क्षत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मावाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. वैक ड्राफ्ट की मूल प्रति ही-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 11/09/2024 समय सायं 5:00 बजे तक खुनिज कार्यालय, फतेहपुर में उपरान्त करायी होगी। जिस निविदाकर्ता का वैक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ही-निविदा नहीं खाली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का खनन, उस क्षत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति खुनिज कार्यालय, फतेहपुर में प्ररतुत किया जायगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छाड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अन्सर्ट मनी के वैक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायगा।
12. प्राप्त ही-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अन्सर्ट मनी के रूप में जमा धनराशि का समायाजित कर शेष धनराशि आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार टी००८००५० व टी०८००५० दय होगा।
13. जिन क्षत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षत्रों के सफल निविदादाता का नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसंचिन्ना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधिकार्ता के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय रदीक्षित अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अनारित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायगा।
14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षत्र का सीमांकन किया जायगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विनियोग अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खुनिज का अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमादित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

17. अनुज्ञाधारक उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकंन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियाकार्डिनेट भी हृति किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
18. चयनित अनुज्ञाधारक उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन याजना, माइन्स क्लाऊजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
19. अनुज्ञाधारक उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 के अनुसार याहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य घार पी0टी0जॉड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रत्यक्ष वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाय करेगा एवं सदैव उस घालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समरत रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड माग जान पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
20. अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक याहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं घालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
21. अनुज्ञाधारक अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
22. जिलाधिकारी द्वारा विनिहित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
23. नदी की जल धारा में स्वक्षण मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा एवं अन्य किसी भी माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
24. ई-निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व खनन संक्रिया की साध्यता के विषय में भौके का स्वयं निरीक्षण कर ई-निविदादाता अवश्य ही आश्वस्त हो ले। ई-निविदा में प्रतिभाग करने का स्पष्ट आशय है कि ई-निविदा हेतु विज्ञापन में दर्शित खनिज की मात्रा, खनन क्रिया की साध्यता, खनन स्थल तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि के विषय में विडर को कोई आपत्ति नहीं है।
25. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
26. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों, खनन अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन याजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
27. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया याजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।
28. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारक को मान्य होगा।
29. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवासित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बन पुल से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
30. स्थानीय रिथ्ति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के सभी नियम तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
31. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के सभी नियम तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

32. ई-निविदादाता द्वारा टेप्डर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने की दशा में उसके द्वारा जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में सम्पूर्ण करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दावा रथीकार नहीं होगा।

१२३१८
जिलाधिकारी
फतेहपुर।

पत्रांक / खनिज / 2024-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकमे विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) फतेहपुर/प्रभारी अधिकारी खनिज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक य०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. समर्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, फतेहपुर को etenders.up.nic.in पर अपलोड करने/ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बिन्दकी फतेहपुर।
12. अध्यक्ष जिला पंचायत, खागा/किशनुपर/बहुआ/कोड़ा जहानाबाद/हथगाँम/असोथर/ कारीकान धाता/खखरेल।
13. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, फतेहपुर को सूचना पट पर चर्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1281 / खनिज / अल्प अवधि टेप्डर / 2024-2025

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

दिनांक 27/08/2024


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बाल/मोरम के 03 रिक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा०) / 2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा भालने की तिथि 03/09/2024 से 10/09/2024 समय साथ इन क्षेत्रों के लिए पोर्टल “etenders.up.nic.in” पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र. सं	लाइसेंस नंदी व डीएसप्पर पुरिया कोड	खण्ड संख्या/गांव संख्या	हेक्टेक्स (हेक्टेक्स)	सीलनर्व	पिलो-कौमार्डिस	कर (प्रति घटनी में)	लागू कीज प्रतीक्षा/ वार्षिक उत्तमिक की तरफ (प्रतीक्षा के)	पात्र वर्ग प्रबन्धन			
								1	2	3	
1.	पर्वतपुरा लम्बनगर-कोहर (यमुना नदी) 1570760202	खण्ड सं-आरोड़-०-१ गांव सं-१४४ का बाग आदि. 40, 36, 32, 68, 5	34.0180	उत्तर गांव नगर कोहर जी एहतपाली भूमि	A N-25°-40.882 E-80°-52.780 A1 N-25°-40.877 E-80°-52.733 A2 N-25°-40.840 E-80°-52.735 A3 N-25°-40.860 E-80°-52.439 A4 N-25°-40.906 E-80°-52.128 दक्षिण पूरब पश्चिम	B N-25°-41.012 E-80°-51.798 C N-25°-40.881 E-80°-51.738 C1 N-25°-40.740 E-80°-52.053 पश्चिम खण्ड सं-० आरोड़-०-१ जी	D N-25°-40.800 E-80°-52.082 E N-25°-40.803 E-80°-52.230 E1 N-25°-40.765 E-80°-52.230 F N-25°-40.781 E-80°-52.508 F1 N-25°-40.795 E-80°-52.678 G N-25°-40.812 E-80°-52.786	150	107982	16197300	6096650
2.	चतुर्भुज (यमुना नदी) 2162560201	खण्ड सं-०-उरोड़ी की गांव संख्या-६४ से ६९ तक ८३ से ९१ तक, १०८ से ११२तक, ११५ से १२१ तक, १४१ से १४९ तक, १६१, १६२, १६७, १८८, १८३ से १८० तक, २०२ से २१० तक, २३४ से २४५ तक, ३०१ से ३१३ तक, ३०३ से ३९० तक, ३९५ से ४०२ तक, ४०९ से ४१२ तक, ४१७ से ४२३ तक, ४६३, ४६४, ५६७/४७१, ४७१ से ४७५ तक, ४९३, ५००, ५०५ से ५१० तक, ५३७ से ५४४ तक, ५६१ से ५६५ तक, ५७७ से ५७९ तक, ५८५, ५८६-	50.00	उत्तर ग्राम उरोड़ी का शेष भाग	A N-25°-48.573 E-80°-28.624 B N-25°-48.840 E-80°-28.780 C N-25°-48.273 E-80°-28.969 D N-25°-48.129 E-80°-29.166 E N-25°-47.924 E-80°-29.447 दक्षिण पूरब	F N-25°-47.705 E-80°-29.835 G N-25°-47.622 E-80°-29.775 H N-25°-47.842 E-80°-29.386 I N-25°-48.059 E-80°-29.087 J N-25°-48.207 E-80°-28.880 K N-25°-48.363 E-80°-28.693	150	187500	26125000	14062500	
3.	काशा युहकल (यमुना नदी) 2160800401	खण्ड सं-०-युहकल काम्पिंग की गांव संख्या-५३ से ७१ तक, ७४ से ८६ तक, ११, १२२ से १३४ तक	50.00	उत्तर यमुना गांव गांव शेष भाग	A 25°37' 11.7"N 80°57' 33.3"E A1 25°36' 8.527"N 80°57' 55.7"E A2 25°36' 7.737"N 80°57' 70.3"E A3 25°36' 7.387"N 80°58' 12.0"E A4 25°36' 7.677"N 80°58' 33.7"E B 25°36' 8.697"N 80°58' 6.29"E दक्षिण यमुना नदी गांव शेष भाग	C 25°36' 7.907"N 80°58' 6.57"E C1 25°36' 7.457"N 80°58' 4.39"E	150	187500	26125000	60962500	

					पूर्व	यमुना नदी का शेष भाग	C2 C3	$25^{\circ}36.667'N$ $25^{\circ}36.675'N$	$80^{\circ}58.021'E$ $80^{\circ}57.727'E$			
					पश्चिम	यमुना नदी का होम भाग	C4 D	$25^{\circ}36.758'N$ $25^{\circ}36.930'N$	$80^{\circ}57.469'E$ $80^{\circ}57.080'E$			

इ-निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी आनलाइन "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर व किसी भी कार्यदिवस में समय 10.00बजे से 5.00बजे तक खनिज कार्यालय फतेहपुर से प्राप्त की जा सकती है।


जिला अधिकारी
फतेहपुर।

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण—किसी प्रकार के कटिग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

१.	देखभासि संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
२.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
३.	निविदाकार का नाम	
४.	निविदाकार के पिता का नाम	
५.	स्थायी पता	
६.	वर्तमान पता	
७.	मोबाइल नम्बर	
८.	ई-मेल आईडी	
९.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम— ख. जनपद का नाम— ग. तहसील का नाम— घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम— ङ. गाटा संख्या / खण्ड संख्या / जोन संख्या— च. क्षेत्रफल(एकड़ में)—	
१०.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
११.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
१२.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र/ शापथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र/ शापथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
१३.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहाँ से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
१४.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
१५.	क्षेत्र में निर्धारित/ आकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायलटी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्रापट धनराशि व ड्रापट का विवरण (वैक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्रापट धनराशि ——— वैक का नाम व शाखा ——— ड्रापट का नम्बर ———

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक—

निविदाकार के हस्ताक्षर